

प्रेषक,

आयुक्त,

लखनऊ मण्डल,

लखनऊ।

सेवा में,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,

शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,

प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्र संख्या/सं०शि०नि०/ 683-88

/2012-13 दिनांक : 26-4-12

विषय: जी०डी०गोयन्का पब्लिक स्कूल, से०-बी, सुशान्त गॉल्फ सिटी सुल्तानपुर रोड लखनऊ को सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये सूचित करना है कि उपर्युक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने में आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत समिति का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०, माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी।
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा-विनियमावली बनायी जायेगी और उन्हें सहायता-प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय के अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखे जायेंगे।

S. Mathur

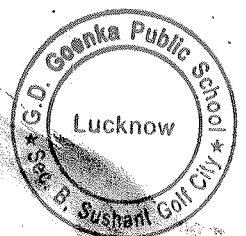
Officiating Principal

GD Goenka Public School

Sect. B, Sushant Golf City, Lucknow

Suresh Kumar Grol

CHAIRMAN



9 जनहित याचिका संख्या-483, 2009 अवनीश महाराजा प्रति यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.4.2009 के अनुपालन में विद्यालय द्वारा, सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने के पूर्व, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं एवं उसमें अग्निशमन यन्त्र स्थापित हो चुका है तथा स्टाफ अग्निशमन उपायों हेतु भलीभाँति प्रशिक्षित है।

10. उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2- उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(प्रशान्त त्रिवेदी)

आयुक्त

लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या/ ८४३-४४ /2012-12 दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. शिक्षा सचिव, (माध्यमिक शिक्षा) उत्तर प्रदेश, शासन।
2. शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
4. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
5. प्रबन्धक, जी0डी0गोयन्का पब्लिक स्कूल, से0-बी, सुशान्त गोल्फ सिटी सुक्तानपुर रोड लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

(विकास श्रीवास्तव)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

षष्ठ मण्डल, लखनऊ।

S. Mathai

Officiating Principal

GD Goenka Public School

Sect. B, Sushant Golf City, Lucknow

Suresh Kumar Goyal

CHAIRMAN

